संस्करण, 28 अप्रैल 2020

कोविड-19 महामारी के तहत जल संबंधी आपदा जोख़िम न्यूनीकरण (डीआरआर) सिद्धांतों का मसौदा

नेताओं, निर्णयकर्ताओं, और नागरिकों को यह ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न देशों और शहरों में जल संबंधी आपदाओं[1] का ख़तरा कोविड-19 महामारी के दौरान भी आसन्न बना हुआ है। आपदा जोख़िम न्यूनीकरण (डीआरआर) संबंधी रणनीति एवं उपायों को विशेष रूप से वर्तमान महामारी की स्थिति के लिए तैयार किया गया है, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को महामारी विस्फोट का केन्द्र बनने से रोकेंगे और उन्हें आपदाओं से तेज़ी से उबरने में सहायता करेंगे। निम्नलिखित सिद्धांत राजनेताओं, डीआरआर एवं कोविड-19 के प्रभारी प्रबंधकों तथा अन्य सभी संबंधित लोगों के लिए व्यावहारिक परामर्श हैं ताकि वे रणनीति एवं उपायों की रूपरेखा तैयार कर सकें। इन सिद्धांतों से जल संबंधी आपदाओं से निपटा जा सकता है, जो भविष्य में कभी भी, यहाँ तक कि महामारी के समय में भी आ सकती हैं। हालाँकि ये सिद्धांत जल संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए हैं, लेकिन ये अन्य प्रकार की आपदाओं में भी अपनाये जा सकते हैं।

कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 संक्रमण कम करने और संक्रमितों का इलाज करने पर तत्काल ध्यान दिया गया है। हालाँकि, जल संबंधी आपदाओं का ख़तरा, कोविड-19 से पहले की स्थिति के समान ही बना हुआ है। डीआरआर आपात प्रतिक्रियाओं और कोविड-19 स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रियाओं के बीच प्रतिस्पर्धा और जटिलताओं से कुछ देशों और शहरों में नकारात्मक प्रभाव गंभीर रूप से बढ़ सकते हैं।

डीआरआर रणनीतियों के क्रियान्वयन और सुरक्षात्मक उपायों में वर्तमान महामारी को ध्यान में रखा गया है और ये जल संबंधी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को महामारी विस्फोट के नये केन्द्र या समूह बनने से रोकने के लिए आवश्यक हैं। निम्नलिखित सिद्धांत राजनेताओं, डीआरआर एवं कोविड-19 के प्रभारी प्रबंधकों और अन्य सभी संबंधित लोगों को व्यावहारिक परामर्श प्रदान करते हैं कि सहवर्ती आपदाओं के बढ़े हुए दुष्प्रभावों से बचने हेतु कैसे तैयारी की जाए और उन पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। हालाँकि ये सिद्धांत विशेष रूप से जल संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए हैं, लेकिन इन्हें अन्य प्रकार की आपदाओं में भी अपनाया जा सकता है।

सिद्धांत 1 – महामारी में आपदा जोख़िम न्यूनीकरण (डीआरआर) के प्रति नेताओं की जागरूकता बढ़ाना

सिद्धांत 2 – आपदाओं और महामारियों के जोख़िम प्रबंधन का एकीकरण

सिद्धांत 3 – आपदाओं के समय तथा उनके उपरांत स्वच्छ जल, सफ़ाई व्यवस्था तथा स्वच्छता की सतत् आपूर्ति प्रदान करना

सिद्धांत 4 – आपदा जोख़िम प्रबंधन संबंधी दल को कोविड-19 के ख़तरे से बचाना

---

[1] इस दस्तावेज़ में जल संबंधी आपदाओं का अर्थ है, सभी तरह की आपदाएँ जिनमें प्रभाव का कारण पानी रहा हो। इनमें भारी वर्षा, तूफ़ान, बाढ़, सूखा, भू-स्खलन, मलबा बहना, त्सुनामि, उच्च ज्वार, द्रवीकरण, ग्लेशियर झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (जीएलओएफ़), और जल प्रदूषण दुर्घटनाएँ शामिल हैं। प्रभावित लोगों की संख्या के हिसाब से कुल आपदाओं में से जल संबंधी आपदाओं का हिस्सा 95% से भी अधिक है। पिछली 1, 000 प्रमुख आपदाओं में से 90% से भी अधिक जल संबंधी आपदाएँ रहीं।

सिद्धांत 5 – सीमित चिकित्सा संसाधनों को आपदा दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना

सिद्धांत 6 – आपदा विस्थापितों को कोविड–19 के ख़तरों से बचाना

सिद्धांत 7 – कोविड–19 रोगियों को आपदा ख़तरों से बचाना

सिद्धांत 8 – कोविड–19 लॉक–डाउन प्रभावी शहरों और क्षेत्रों के लिए विशेष निकासी दिशानिर्देश तैयार करना

सिद्धांत 9 – आर्थिक तबाही से बचने के लिए कोविड–19 के दौरान डीआरआर उपायों का प्रभावी वित्त पोषण करना

सिद्धांत 10 – विश्व को पहले से बेहतर बनाने की दिशा में इन सहवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मज़बूत करना

यह देखते हुए कि, कोविड–19 पर काबू पाने के प्रयासों के चलते बाढ़ या सूखे से निपटने और बहाली के प्रयास जटिल हो जाते हैं और विपरीत क्रम में भी ऐसा ही होता है।

सिद्धांत 1 – महामारी में आपदा जोख़िम न्यूनीकरण (डीआरआर) के प्रति नेताओं की जागरूकता बढ़ाना

- ज्ञात रहे कि कोविड–19 महामारी की स्थिति में भी विभिन्न देशों तथा शहरों में जल संबंधी आपदाओं का ख़तरा आसन्न है। हालाँकि आपदाओं और महामारियों दोनों से प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियाँ जटिल और भ्रामक हो सकती हैं, लेकिन क्रमशः निर्णय लेना और क़दम उठाना मददगार होता है। हालाँकि नियत कार्य विशालकाय और जटिल लग सकते हैं, लेकिन हार न मानें। महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डीआरआर निर्णय लेने या डीआरआर निर्णय लेते समय महामारी की स्थिति को ध्यान में रखने से बाद में भ्रम से बचने में मदद मिलेगी।
- आपदा और महामारी जोख़िम प्रबंधन संबंधी रणनीति और उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करें। डीआरआर और कोविड–19 के विशेषज्ञों के संयुक्त दलों की मौजूदा चर्चा और एकीकृत परामर्श के आधार पर सलाह जारी करें। उनसे परामर्श कर महत्त्वपूर्ण निर्णय लें।
- यदि जल संबंधी आपदा आती है, तो आवश्यक चिकित्सा और डीआरआर कर्मियों की सुरक्षा सहित रोग प्रसार और सहवर्ती आपदाओं के दुष्प्रभावों से बचने के लिए बिजली, परिवहन, पानी और स्वच्छता जैसी संभावित मूलभूत सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखें या जल्द से जल्द बहाल करें। इसके लिए डीआरआर प्रबंधकों को समय–पूर्व उपाय जैसे कि महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की आपात सुरक्षा योजना बनाने और बहाली कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री/उपकरण की आकस्मिक आपूर्ति व्यवस्था करने के लिए कहें।
- डीआरआर प्रबंधकों से तुरंत प्रभावी अनुरोध करें कि वे महामारी की परिस्थिति में किसी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनायें। अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और उनके कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डीआरआर और कोविड–19 की रोकथाम के दृष्टिकोण से, कोविड–19 के दौरान डीआरआर योजना में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों, प्रवासियों, विस्थापितों, दिहाड़ी मज़दूरों, झुग्गी निवासियों और बेघरों की ख़ास ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण और आपात चिकित्सा सेवाओं के पास किसी आपदा और

कोविड-19 से एक साथ निपटने की आकस्मिक परिचालन योजनाएँ हों। ये दोनों पहले से ही कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं इसलिए इनके लिए अपने प्रतिस्पर्धी दायित्वों में तेज़ी से संतुलन लाने हेतु ऐसी योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं।

- आपदाओं के समय तथा उनके उपरांत सतत् जलापूर्ति और सफ़ाई व्यवस्था के लिए मानव एवं वित्तीय संसाधनों के आवंटन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें क्योंकि स्वच्छता, विशेष रूप से हाथ धोना, कोविड-19 को फैलने से रोकने का एक मूल तत्व है।
- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय डीआरआर योजनाओं में इस दस्तावेज़ के प्रत्येक सिद्धांत को शामिल करें। निजी क्षेत्रों सहित डीआरआर संबंधी सभी कर्मियों को उनकी व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) में ये सिद्धांत शामिल करने के लिए कहें।

यह देखते हुए कि डीआरआर और कोविड-19 न्यूनीकरण से संबद्ध लोगों को एक प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया के लिए समन्वयन की आवश्यकता है।

सिद्धांत 2 – आपदाओं और महामारियों के जोख़िम प्रबंधन का एकीकरण

- स्वास्थ्य क्षेत्र को एकीकृत जोख़िम प्रबंधन प्रणाली में पूर्ण रूप से शामिल करें। कोविड-19 के तहत डीआरआर नियमन को मज़बूत करने के उद्देश्य से डीआरआर के लिए सेन्दाइ रूपरेखा और अन्य अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के मूलभूत दृष्टिकोण अपनाएँ, जैसे कि जोख़िम-आधारित दृष्टिकोण, समग्र आपातकालीन प्रबंधन, सर्वसंकट (समावेशी) दृष्टिकोण, व्यक्ति एवं समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण, बहुखण्डीय एवं बहुविषेयक समन्वयन, संपूर्ण आरोग्य प्रणाली आधारित दृष्टिकोण और नैतिक विमर्श। डीआरआर सहयोग और उपायों के निर्धारित क़दमों की समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें जैविक ख़तरों सहित सभी प्रकार के ख़तरों से निपटने हेतु और लचीला बनाने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।
- कोविड-19 की स्थिति के दौरान घटित भारी वर्षा, बाढ़, समुद्री तूफ़ान और बवंडर के हालिया मामलों से जुड़ी जानकारी तुरंत हासिल और साझा करें। इन मामलों से प्राप्त कई सबक सिद्धांतों में झलकते हैं।
- कोविड-19 की स्थिति में डीआरआर दृष्टिकोणों पर परिस्थिति-विशेष दिशानिर्देश और वेबिनार तैयार करें जो आपकी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थिति दर्शाते हों। कोविड-19 की स्थिति में डीआरआर प्रबंधकों और संबंधित कर्मियों से जल संबंधी आपदा प्रबंधन अभ्यास करवाने पर विचार करें।
- आपदाओं से पहले अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को जोख़िम मानचित्र और डीआरआर परामर्श प्रदान करें। आपदा/कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों और सुविधाओं के अतिव्यापी मानचित्र बनाएँ। जोख़िम वाले क्षेत्रों की यात्राओं से बच कर संक्रमण और आपदाओं के जोख़िम कम किये जा सकते हैं। जोख़िम मानचित्रों में आपदा और महामारी के दुहरे दुष्प्रभावों के तहत प्रत्येक परिवार के लिए सतत् जलापूर्ति की जानकारी भी शामिल की जानी चाहिए।
- महामारी प्रतिबंधों तथा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सुरक्षित निकासी और अन्य प्रतिक्रियाओं के संबंध में संक्षिप्त और स्पष्ट "समय-पूर्व चेतावनी" संदेश तैयार करें।[i]
- डीआरआर और कोविड-19 की जोख़िम जागरूकता के संयुक्त अभियान चलाएँ। संक्रामक रोगों के पर्याप्त रोकथाम उपाय करने तथा आपदा का मुकाबला करने की क्षमता में वृद्धि हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए

महामारियों सहित जोख़िम के विभिन्न कारकों के विरुद्ध क्षमता वृद्धि के महत्त्व संबंधी जागरूकता अभियान आवश्यक हैं। उच्च जोख़िम वाले क्षेत्रों में सहवर्ती आपदाओं के बहु-जोख़िम का आकलन करें।

- सुनिश्चित करें कि आपदा प्रबंधन दल आपदा पश्चात के प्रभावों और प्रतिक्रिया के साथ-साथ कोविड-19 संबंधी समस्याओं से निपटने के प्रयासों के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखे। जनता और आपदा प्रभावित लोगों को प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी मिलनी चाहिए। आपदा प्रबंधन दल को सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिए। विशेष रूप से संक्रामक रोगों के लिए धन जुटाने के संबंध में (डाटा के आधार पर) सहायता माँग और (जनता की ओर से) सहायता आपूर्ति में तालमेल बैठाना चाहिए। एक सहयोग मंच बनाएँ जहाँ ज़रूरतमंदों की तुरंत मदद की जा सके।
- कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए डीआरआर के मौजूदा युवा समूहों को एकजुटता और सहयोग के लिए सक्रिय करें क्योंकि रोग नियंत्रण में युवाओं का व्यवहार निर्णायक तत्व होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन, राहत एवं बहाली गतिविधियों में युवा समूहों के साथ सहयोग करें और आईसीटी, नवाचार तथा स्थानीय युवा समकक्षों की लामबंदी में उनकी विशेष क्षमता का उपयोग करें।

यह देखते हुए कि कोविड-19 की रोकथाम तथा आपदाओं से शीघ्र उबरने में जल, सफ़ाई व्यवस्था और स्वच्छता महत्वपूर्ण तत्व हैं।

सिद्धांत 3 - आपदाओं के समय तथा उनके उपरांत स्वच्छ जल, सफ़ाई व्यवस्था तथा स्वच्छता की सतत् आपूर्ति प्रदान करना

- ज्ञात रहे कि प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर जलापूर्ति में व्यवधान पैदा करती हैं जिससे कोविड-19 न्यूनीकरण प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। पानी की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में आपदाओं से कोविड-19 संक्रमण के मानव-से-मानव संचरण को रोकने में सहायक कार्य, जैसे कि हाथ धोना, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य तौर-तरीके प्रभावित हो सकते हैं। सूखे के कारण पैदा होने वाले जोख़िमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि पानी की कमी स्वच्छता संकट पर काबू पाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- जल अवसंरचनाओं, विशेष रूप से जल स्रोतों को दूषित होने से बचाएँ। आपदा और महामारी के आनुशंगिक जोख़िमों से बचने के लिए जल संचयन, और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग सहित गैर-दूषित वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर विचार करें।
- जल सेवा प्रदाताओं की डीआरआर योजनाओं में न केवल प्राकृतिक जोख़िमों बल्कि महामारियों के दुष्प्रभाव भी शामिल होने चाहिए। महामारियों से कर्मी प्रभावित होंगे और इस प्रकार जलापूर्ति सेवा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। चिकित्सा केंद्रों, जल/सफ़ाई व्यवस्था आपूर्ति केन्द्रों, और आपात कर्मियों जैसे विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता संवर्धन को प्रक्रिया के सभी चरणों में शामिल किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से आपदाओं के समय जोखिमों से बचने के लिए वायरस से संक्रमित इलाकों के अपशिष्ट जल में कोविड-19 का पता लगाने के लिए अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्यों को बढ़ावा दें। अपशिष्ट जल आधारित महामारी विज्ञान (डब्ल्यूबीई) जैसे नये उपायों का पता लगाया जाना चाहिए। ये पानी और मल निकासी मार्ग से कोविड-19 के संभावित प्रसार का पूर्वानुमान लगाने के प्रभावी और त्वरित उपाय साबित हो सकते हैं।
- जल कंपनियों को अपनी व्यवसाय निरंतरता योजनाओं में डिजिटल उपकरणों और दूरस्थ स्वचालन/निगरानी

व्यवस्था की भूमिका बढ़ाने के लिए कहें। अगर संभव हो तो कोविड-19 की स्थिति में सभी आवश्यक जल और अपशिष्ट जल संचालन दल के सदस्य तथा नियंत्रण केंद्र और प्रयोगशाला कर्मी अपने कार्यस्थलों से दूर रह कर काम करें। कार्यस्थलों पर मौजूद कर्मचारियों के संबंध में दलों को संगरोध व्यवस्था वाली अलग-अलग पालियों में काम सौंपा जाना चाहिए और उन्हें कोविड-19 के लिए निजी सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

यह देखते हुए कि महामारी के दौरान बाढ़ और सूखे से निपटने के प्रयासों और बहाली प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन की आवश्यकता है।

सिद्धांत 4 – आपदा जोख़िम प्रबंधन संबंधी दल को कोविड-19 के ख़तरे से बचाना

- डीआरआर कर्मियों को कोविड-19 के बारे में शिक्षित करें और उनकी क्षमता बढ़ाएँ। आपदा प्रबंधन अधिकारियों और स्वयंसेवकों को संक्रमण से बचने के तरीकों के बारे में सुलभ, संक्षिप्त और स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करें। उदाहरण के लिए, परामर्श पत्रिका, वेबिनार इत्यादि का उपयोग करें। नियम पुस्तिका और दैनिक जाँच सूची में डीआरआर गतिविधियों में सामाजिक दूरी बनाने के निर्देश शामिल करें।
- यह सुनिश्चित करें कि जब स्वयंसेवकों सहित डीआरआर कर्मी आपदा तैयारियों/रोकथाम/बहाली गतिविधियों में संलग्न हों तो उनके पास मास्क जैसी कोविड-19 की मानक सुरक्षा वस्तुएँ हों। यदि संभव हो तो, अत्यधिक संक्रामक मामलों में उपयोग के लिए इन वस्तुओं के साथ-साथ कोविड-19 के निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का भी बड़ी मात्रा में भंडारण करें।
- आपदा प्रबंधन कर्मियों की दैनिक स्व-चिकित्सा जाँच आवश्यक है ताकि सहकर्मियों और सुरक्षित निकाले गए लोगों के साथ उनके संपर्क से संभावित संक्रमण को रोका जा सके।
- कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों तथा कम प्रभावित क्षेत्रों के बीच स्वयंसेवियों सहित डीआरआर कर्मियों की यात्राओं के कारण होने वाले रोग संचरण से बचने के लिए त्वरित आपदा रोकथाम/बहाली की आवश्यकता और संक्रमण को फैलने से रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बैठाएँ।
- सुनिश्चित करें कि आपदाओं की निगरानी और सतर्कता की गुणवत्ता की जाँच निरंतर की जा रही है क्योंकि प्रभारी अधिकारियों के संगरोध में जाने से ये कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

सिद्धांत 5 – सीमित चिकित्सा संसाधनों को आपदा दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना

- अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को आपात शिविर स्थल बनाने से बचें। ऐसी इमारतों और प्रतिष्ठानों को जोख़िम मानचित्रों और डीआरआर योजनाओं में निर्दिष्ट आपात शिविर स्थलों से हटाएँ।
- आपदा दुष्प्रभाव से चिकित्सा कर्मियों, संस्थानों और उपकरणों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें:
  - जल संबंधी आपदाओं (बाढ़ इत्यादि) के मामले में आवश्यक बिजली उत्पादन उपकरणों को सुरक्षित जगह ले जाना और अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सा संस्थानों के लिए सहायक बिजली आपूर्ति उपकरणों का प्रावधान करना,
  - उचित डीआरआर जानकारी का संचार सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन कर्मियों को अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों और चिकित्सा संस्थानों के लिए तुरंत रवाना करना,

- प्रारम्भिक चरण में ही समय रहते आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और सामग्री को ऊपरी मंज़िलों पर ले जाना,
- संक्रामक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए रोगियों और चिकित्सा कर्मियों के लिए निकासी योजना बनाना,
- आपदाओं के कारण जलापूर्ति और साफ़-सफ़ाई सेवाएँ बाधित होने की स्थिति में अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों और चिकित्सा संस्थानों के लिए पानी, सफ़ाई व्यवस्था और स्वच्छता की उपलब्धता को प्राथमिकता देना,
- बाढ़ मैदानों जैसे आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त अस्थायी कोविड-19 अस्पतालों के निर्माण से बचने के उद्देश्य से महामारी प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक अस्थायी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान करना,
- आपदा का ख़तरा निकट आने से पहले मूलभूत डीआरआर जानकारी रखने वाले आपातकालीन प्रबंधन के प्रभारी चिकित्सा कर्मियों को शिक्षित करना,

यह देखते हुए कि प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 के संयुक्त जोख़िमों से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

सिद्धांत 6 - आपदा विस्थापितों को कोविड-19 के ख़तरों से बचाना

- तत्काल ऐसी निकासी योजनाएँ बनाएँ या संशोधित करें जिनमें सामाजिक दूरी और उपयुक्त निकासी प्रक्रियाओं को आश्वस्त करते अनुकूल शिविर शामिल हों। सामूहिक संक्रमण से बचने के लिए शिविर भवनों/प्रतिष्ठानों में उचित संवातन सुनिश्चित करें। शिविरों के लिए अतिरिक्त भवनों और स्थानों की पहचान करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें कोविड-19 से बचाने के प्रयासों के तहत विस्थापितों की विशिष्ट संभावित आवश्यकताएँ, जैसे कि सामाजिक दूरी और स्वरोपित-संगरोध मरीज़ों हेतु अलग स्थान इत्यादि, की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सके। आदर्श रूप से, कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं से युक्त शिविर स्थल और स्वरोपित-संगरोध रोगियों के लिए अलग-अलग इमारतें/सुविधाएँ/शिविर स्थल स्थापित किये जाने चाहिए।
- जब भी और जहाँ भी संभव हो निकासी के प्राथमिकता उपाय के रूप में ऊर्ध्वाधर निकासी को बढ़ावा दें। इसका अर्थ है कि सुरक्षित होने पर, विस्थापित व्यक्ति अपनी या अपने पड़ोस की इमारत की दूसरी या ऊपरी मंज़िल पर शरण ले। यह दुर्घटनाओं से बचने, निकासी के दौरान आपदाओं का मुकाबला करने और शिविर स्थलों में भीड़ कम करने के लिए आवश्यक है, ताकि शिविर स्थलों में वायरस के संक्रमण का ख़तरा कम किया जा सके। सपाट तराई वाले इलाकों जैसे क्षेत्रों में जहाँ ऊर्ध्वाधर निकासी संभव न हो, वहाँ विस्थापितों की भीड़ लगने से बचने के लिए ऊँची इमारतों, शिविर भवनों और शिविर स्थलों की संख्या बढ़ा कर समय रहते निकासी आरम्भ करने के बारे में स्थानीय समुदाय के साथ चर्चा करें।
- बुज़ुर्गों, विकलांगों, गर्भवती महिलाओं और दीर्घकालिक रोगों वाले मरीज़ों जैसे संयुक्त जोखिमों के प्रति सबसे कमज़ोर लोगों की पहचान करें और उनकी समय-पूर्व निकासी तथा देखभाल योजना बनाएँ।
- विस्थापितों के लिए पर्याप्त स्वच्छ पानी, साबुन, और स्वच्छता हेतु सामान उपलब्ध करवाएँ।
- विस्थापितों का शारीरिक तापमान मापने जैसी मूलभूत चिकित्सा जाँच करें।
- विस्थापितों के प्रति और उनके बीच कोविड-19 संबंधी किसी भी भेदभाव होने से रोकें। आपदाओं और कोविड-19 की स्थिति तथा दुष्प्रभावों के बारे में पारदर्शिता से सटीक जानकारी देते रहें क्योंकि घबड़ाहट

की स्थिति में ग़लत सूचना और फ़र्ज़ी खबरें तेज़ी से और व्यापक रूप से फैलती हैं।

- नागरिकों को आपदाओं से पहले अपने निकासी किट में मास्क, वैट-टिशू, साबुन, तौलिया और थर्मामीटर रखने की सलाह दें।
- किसी सामान की बजाय नकद दान का आह्वान करें क्योंकि महामारी में सामान के दूषित होने का ख़तरा रहता है।

सिद्धांत 7 – कोविड-19 रोगियों को आपदा ख़तरों से बचाना

- सुनिश्चित करें कि डीआरआर और कोविड-19 को एकीकृत सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है – मानव जीवन को सीधे ख़तरे में डालने वाले जोख़िमों से बचें।
- संक्रामक रोगों के चिकित्सीय नियंत्रण सिद्धांतों को समझते हुए उनके आधार पर कोविड-19 न्यूनीकरण के लिए संगठित उपाय करें। इन चिकित्सा सिद्धांतों में शामिल हैं – 1) संक्रमण के स्रोत को ख़त्म करना, 2) संचरण मार्ग अवरुद्ध करना, 3) कमज़ोर समूहों की रक्षा करना।
- स्वरोपित-संगरोध या निर्दिष्ट सुविधाओं में भर्ती कोविड-19 रोगियों के लिए सुरक्षा योजनाएँ बनाएँ, जिनमें शामिल हैं – संचार और संदेश के साधन, आपदाओं से सुरक्षित संगरोध सुविधाओं की ओर निकासी की योजना, और निकासी के बाद चिकित्सा सहायता।

सिद्धांत 8 – कोविड-19 लॉक-डाउन प्रभावी शहरों और क्षेत्रों के लिए विशेष निकासी दिशानिर्देश तैयार करना

- आपदाओं के प्रति सुरक्षा और प्रभावी निकासी सुनिश्चित करने तथा घबड़ाहट पैदा होने से बचने के लिए लॉकडाउन प्रभावी इलाकों में समय-पूर्व विशेष चेतावनी जारी करें।
- लॉकडाउन की स्थिति में घबड़ाहट पैदा होने तथा संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए आकस्मिक आपातकालीन निकासी योजनाएँ तैयार करें। एक निर्धारित समयसीमा वाली आपदा प्रतिक्रिया योजना पर विचार करने की आवश्यकता है जिसमें कुछ निश्चित क्षेत्रों से विशिष्ट प्रतिबंध हटाने का प्रावधान शामिल हो।
- लॉकडाउन के दौरान आपदा की स्थिति में सुरक्षित क्षेत्र तथा निकासी मार्ग निर्धारित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करें।

यह देखते हुए कि कोविड-19 के दौरान आपदाओं से उचित तरीके से निपटने से वैश्विक स्तर पर ख़रबों डॉलर की बचत होगी।

सिद्धांत 9 – आर्थिक तबाही से बचने के लिए कोविड-19 के दौरान डीआरआर उपायों का प्रभावी वित्त पोषण करना

- यह ध्यान में रखते हुए कि बहु-जोखिमों से भारी आर्थिक तबाही हो सकती है, महामारी संबंधी वित्तीय माँग की पूर्ण पूर्ति करें और साथ ही एक आकस्मिक बजट और आपदा तथा जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने हेतु धन का प्रावधान करें। बैंकों और/या बीमा कंपनियों के साथ आकस्मिक वित्त समझौतें करें ताकि आपदाओं से निपटने के लिए शीघ्रता से धन का उपयोग किया जा सके।

- वित्त पोषण और भुगतान प्रक्रिया को लचीला बनाएँ, जिससे कोविड-19 की स्थिति में डीआरआर कर्मी तेज़ी से उभरते और बदलते बहु-जोखिमों से निपटने की योजना बना सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।
- आपदा जोख़िम प्रबंधन क्षमताओं का नवीकरण करते हुए, आपदाओं और महामारी से निपटने हेतु आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के इंतज़ाम के लिए कीमतों, आपूर्तिकर्ताओं, आपूर्ति समय और विनिर्देशन संबंधी डाटा के साथ, वैश्विक डिजिटल एवं डाटा-संचालित योजना बनाएँ। उदाहरण के लिए, विनिर्माण क्षमता की कमी, लंबी और संकुलित आपूर्ति शृंखला और प्रतिस्पर्धी खरीदारों जैसी चुनौतियों का सामना करने की योजना तैयार रखें।
- कोविड-19 के संपर्क आधारित व्यापक संक्रमण को रोकने के लिए हाल ही में रेड क्रॉस द्वारा पूर्वी अफ़्रीका में आपदा पीड़ितों को वितरित किये गए तंत्र जैसे टेलीफोन आधारित डिजिटल मुद्रा भुगतान और डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से डीआरआर लेनदेन में डिजिटल भुगतान तंत्र को प्रोत्साहित करें।

यह देखते हुए कि कोविड-19 और आपदाओं के संयुक्त मोर्चे के खिलाफ़ लड़ाई में अलगाव की बजाय वैश्विक एकजुटता आवश्यक है।

सिद्धांत 10 – विश्व को पहले से बेहतर बनाने की दिशा में इन सहवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मज़बूत करना

- जब भी कोई महा-आपदा आए तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ पूरी ज़िम्मेदारी और पारदर्शिता से आपदा और उसके दुष्प्रभाव के बारे में सटीक एवं समयोचित जानकारी नियमित रूप से साझा करें, ताकि प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली को वैश्विक भरोसा दिलाया जा सके।
- मौसम/जलवायु एजेन्सियों से अनुरोध करें कि वे विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनडीआरआर की भागीदारी से कोविड-19 कार्यबल के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करें और उन्हें निश्चित क्षेत्रों में जल संबंधी संभावित आपदाओं के बारे में सचेत करने के लिए जलवायु और मौसम संबंधी विशिष्ट ख़तरों के पूर्वानुमान प्रदान करें।
- यदि आवश्यक हो, तो अंतरराष्ट्रीय डीआरआर और मानवीय सहायता कर्मी एवं उपकरण स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। प्रवेश प्रतिबंध की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय डीआरआर और मानवीय सहायता कर्मियों एवं उपकरणों को प्रभावित देशों तथा क्षेत्रों में प्रवेश के लिए प्रोटोकॉल की आवश्यकता हो सकती है। देशों को वीज़ा प्रक्रिया, संगरोध प्रक्रिया, सीमा शुल्क प्रक्रिया, प्रोटोकॉल, महामारी के दौरान सुरक्षित सहायता प्रक्रिया जैसी सुविधाओं पर पहले से विचार करके रखना चाहिए। भेजे गए दलों के पास सुरक्षा किट होनी चाहिए। ऐसे अंतरराष्ट्रीय सहायता दलों को कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में प्रवेश से पहले चिकित्सा संबंधी ब्योरा दिया जाना चाहिए।
- डीआरआर के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए महामारी संबंधी नीतियों और नियमों के विशेष क्षेत्रीय निकाय गठित करने पर चर्चा करें। उदाहरण के लिए, आसियान देश, क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करके सीमा-पार मुद्दों और डीआरआर संबंधी क्षेत्रीय/अंतरराष्ट्रीय सहयोग को संबोधित कर चुके हैं। तेज़ी से बदलती परिस्थितियों में लचीलेपन के साथ राष्ट्रीय सीमाएँ खोलने संबंधी चर्चा, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देने की स्थिति में ऐसा तंत्र महत्त्वपूर्ण होता है।

- कई दृष्टिकोणों से जोख़िमों का पता लगाते हुए सहयोगात्मक ढंग से सीमा-पार कार्य करें क्योंकि ख़तरे सीमाओं या राजनीति की परवाह नहीं करते। जल, सफ़ाई व्यवस्था, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, बच्चे, सामाजिक बीमा, आश्रय स्थल, आवास और सार्वजनिक खुली जगह जैसे क्षेत्रों में समग्र समाधान तलाशें।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी देशों के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सबसे महत्त्वपूर्ण है, इस प्रकोप का मुकाबला कर रहे निम्न और मध्यम-आय वाले देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ाएँ। हम में से किसी एक पर ख़तरा, हम सब पर ख़तरा है। कोविड-19 और आपदाओं से निपटते समय ध्यान रहे कि हम उतने ही शक्तिशाली हैं जितनी कि हमारी सबसे कमज़ोर कड़ी।
- सीमा-पार और सरकारों के मध्य जोख़िम को समझने और कम करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाएँ। कोविड-19 ने एक संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता दर्शायी है जिसमें राष्ट्रीय आपदा जोख़िम प्रबंधन एजेंसियों सहित सभी संबंधित मंत्रालयों की क्षमताएँ शामिल हों।
- विश्व को पहले से बेहतर बनाने हेतु अभी से बहाली योजना बनाना शुरू करें। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों को अपनी राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोख़िम न्यूनीकरण रणनीति (सेंदाइ व्यवस्था लक्ष्य (ई)) में जैविक ख़तरों और जोख़िमों को शामिल करना चाहिए। इस आपदा द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ नई योजनाओं और रूपरेखाओं का आधार बनेंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक एवं निजी प्रणालियाँ भविष्य में किसी ख़तरे की स्थिति में सरलता से निर्बाध काम करने में सक्षम होंगी।